

कार्यालय जेल अधीक्षक उप जेल बीजापुर, जिला- बीजापुर छ0ग0

क्रमांक
प्रति,

/स्थापना/2018

बीजापुर,दिनांक 04.10.2018

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
अटल नगर,जिला-रायपुर
छत्तीसगढ़।

विषय:- चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन प्रकाशन बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2219 /स्थापना/2018 बीजापुर,दिनांक 25.09.2018।

---00---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि उप जेल बीजापुर(छ0ग0) में रिक्त चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी के रिक्त पद की पूर्ति करने हेतु प्रकाशित कराये जाने वाले संशोधित विज्ञापन को राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में एवं जिले के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. टी.आर.कुंवर)
पदेन अधीक्षक एवं चिकि.अधि.
उप जेल बीजापुर(छ0ग0)

बीजापुर,दिनांक 04.10.2018

पृ0क्र0 2292/स्थापना/2018

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़,रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. संचालक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (N.I.C) मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर,छ0ग0 की ओर विज्ञापन की प्रति संलग्न भेजकर निवेदन है कि जेल विभाग की वेबसाईट www.jail.cg.gov.in के Recruitment पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (N.I.C) जिला-बीजापुर,छ0ग0 की ओर विज्ञापन की प्रति संलग्न भेजकर निवेदन है कि जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in के Recruitment पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

(डॉ. टी.आर.कुंवर)
पदेन अधीक्षक एवं चिकि.अधि.
उप जेल बीजापुर(छ0ग0)

कार्यालय जेल अधीक्षक उप जेल बीजापुर, जिला - बीजापुर छ0ग0

क्रमांक ०४ / स्थापना / 2018

बीजापुर, दिनांक 04 / 10 / 2018

चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन गृह (जेल) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर पत्र क्र. एफ-01-1/2012/1-3 नया रायपुर, दिनांक 25.02.2017 एवं मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ0ग0 रायपुर के पत्र क्रमांक 7610/स्थापना/जे.मु./2017 रायपुर, दिनांक 04.09.2018 एवं जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर पत्र क्र. 2944/स्थापना/2018 जगदलपुर, दिनांक 29.09.2018 के अनुक्रम में उप जेल बीजापुर(छ0ग0) में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किए जाने हेतु जिला-बीजापुर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की (स्वयं सत्यापित) छायाप्रति के साथ कार्यालय जेल अधीक्षक उप जेल बीजापुर(छ0ग0) जिला बीजापुर छ0ग0 494444 के पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। साधारण डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के स्वीकार करने अंतिम तिथि 20 / 10 / 2018 को शाम 05:00 बजे तक होगी। इस विज्ञापनी के जारी होने के पूर्ण तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद						अनारक्षित पद	
		अनु. जाति		अ.ज.जा.		अ.पि.वर्ग		पुरुष	महिला
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
सफाई कर्मचारी	02	-	-	02	-	-	-	-	-

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
01	सफाई कर्मचारी	वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अन्तर्गत (लेबल-01) 15600-49400	मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा पांचवी (प्राथमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा) उत्तीर्ण।

नोट:- अन्य विस्तृत जानकारी जेल विभाग के वेब साइट www.jail.cg.gov.in / जिला बीजापुर(छ0ग0) के वेबसाइट www.jail.cg.gov.in एवं कार्यालय जेल अधीक्षक उप जेल बीजापुर(छ0ग0) जिला बीजापुर(छ0ग0) के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

(डॉ. टी.आर.कुंवर)
पदेन अधीक्षक एवं चिकि.अधि.
उप जेल बीजापुर(छ0ग0)

कार्यालय जेल अधीक्षक उप जेल बीजापुर, जिला - बीजापुर छ0ग0

संशोधित विज्ञापन

क्रमांक 08 /स्थापना/2018

बीजापुर, दिनांक 04 / 10 / 2018

छत्तीसगढ़ शासन गृह (जेल) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर पत्र क्र. एफ-01-1/2012/1-3 नया रायपुर, दिनांक 25.02.2017 एवं मुख्यालय जेल एवं सुधारालय सेवाएं छ0ग0 रायपुर के पत्र क्रमांक 7610/स्थापना/जे.मु./2017 रायपुर, दिनांक 04.09.2018 एवं जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल जगदलपुर पत्र क्र. 2944/स्थापना/2018 जगदलपुर, दिनांक 29.09.2018 के अनुक्रम में उप जेल बीजापुर(छ0ग0) में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किए जाने हेतु जिला-बीजापुर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की (स्वयं सत्यापित) छायाप्रति के साथ इस कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। साधारण डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र को स्वीकार करने अंतिम तिथि 20 /10 /2018 शाम 05:00 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद						अनारक्षित पद	
		अनु. जाति		अ.ज.जा.		अ.पि.वर्ग		पुरुष	महिला
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
सफाई कर्मचारी	02	-	-	02	-	-	-	-	-

वेतनमान:- वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अन्तर्गत (लेबल-1) 15600-49400 तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते।

शैक्षणिक योग्यता:-

मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा पांचवीं(प्राथमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा) उत्तीर्ण।

आयु सीमा:-

आवेदक की आयु दिनांक 01.09.2018 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।

नियम एवं शर्त:-

- 01 उपरोक्त भर्ती छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 29 नवम्बर 2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम 2012 के तहत की जावेगी।
- 02 आवेदक को जिला-बीजापुर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 03 आवेदित पद के लिए आवेदक की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवेदन तिथि को पूर्ण होना चाहिए। अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- 04 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूर्ण करते हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 05 आवेदक का विज्ञापन तिथि के पूर्व का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। आवेदन पत्र में रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक स्पष्ट उल्लेख करते हुए पंजीयन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 06 आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 07 अपूर्ण,अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
- 08 चयन के उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 09 यदि आवेदक पूर्व से किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो आवेदन के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 10 यदि अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 11 उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हो या कर्मचारी रह चुके हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिलनीय होगी।

अर्थात्

- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थाई सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालवधि, भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- 12 उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु-सीमा 02 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 13 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 14 उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा, अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 15 छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2018 के द्वारा जारी किये गये निर्देश के पैरा(3) के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु पैरा(5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे :- छ0ग0 के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु-सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 16 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को चयन की दशा में अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 17 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।
- 18 कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।
"परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिनमें दो या दो से अधिक संतान जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।
- 19 आवेदन पत्र पर उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्ट साईज का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रायित रंगीन फोटो लगाना होगा।
- 20 अभ्यर्थी की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास समिति द्वारा अभ्यर्थी को चयन करने के लिए अनर्हकारी ठहरा देगा।
- 21 आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का उल्लेख अवश्य किया जावे।
- 22 समस्त भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

चयन प्रक्रिया:-

- 01 उपरोक्त विज्ञापित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन किया जावेगा।
- 02 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं कार्य अनुभव आदि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
- 03 समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवारों को उनके जन्मतिथि के आधार पर जिनका जन्म पहले हो, उसे मेरिट क्रम में उपर रखा जावेगा।

(डॉ. टी.आर.कुंवर)
पदेन अधीक्षक एवं चिकि.अधि.
उप जेल बीजापुर(छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप
चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

राजपत्रित अधिकारी से
सत्यापित रंगीन पासपोर्ट
साईज का फोटो चस्पा
करें।

प्रति,

पदेन अधीक्षक एवं चिकि.अधि.
उप जेल बीजापुर(छ०ग०)
जिला-बीजापुर,छ०ग०

1. आवेदक का नाम(हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. लिंग (पुरुष/महिला)
4. वर्तमान डाक का पता जिस पर
पत्र व्यवहार किया जायेगा
5. स्थाई पता
6. राष्ट्रीयता
7. अ-जन्म तिथि (अंको में)
षट्को में
ब-दिनांक 01.06.2018 को आयु
8. वैशेषिक योग्यता

क्रमांक	उत्तीर्ण	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	2	3	4	5	6

9. जाति(अजजा/अजा/अपिप/सामान्य)
10. (अ) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन
(ब) रोजगार कार्यालय का नाम
11. क्या आप विवाहित हैं?
यदि विवाहित है,तो विवाह की तिथि
12. जीवित बच्चों की संख्या/जानकारी
(बच्चों का नाम/लिंग एवं जन्म तिथि सहित)
13. क्या आवेदक भारतीय/अर्द्धभारतीय संस्था
में सेवारत है/थे ?
(यदि हो तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
14. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक प्रकरण
किसी पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित है
अथवा किसी न्यायालय में निसकृत हो
चुका है? यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम
एवं धारा सहित प्रकरण क्र. एवं निर्णय आदि
की जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

संलग्न सहपत्रों की सूची :-

- 1.....
- 2.....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोशणा पत्र

मैं घोशणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं समस्त अभिलेख पूर्णतः सत्य एवं सही है। कोई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कि जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पूरा पता)

S Esstt/Genral

Email-subjaibijapur@gmail.com
Tel./Fax- 07853220394